

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के व्यादेश सं०-762(1) दिनांक-13.07.2015 की कंडिका-6 एवं आवंटनादेश सं०-42(1)ब० दिनांक-13.07.2015 की कंडिका-5 में अंकित "सुसंगत बी०टी०सी० फॉर्म" के स्थान पर "बी०टी०सी० फॉर्म-46" पढ़ा जाय।

2- व्यादेश सं०-762(1) दिनांक-13.07.2015 एवं आवंटनादेश सं०-42(1)ब० दिनांक-13.07.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3- राज्यादेश एवं आवंटनादेश की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 1/विधि-33/2013-1072(i)/स्वा०, पटना, दिनांक- 18/9/2015

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-विशेष कार्य पदाधिकारी (प्रभारी प्रशाखा-6)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।